राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

dirminority@gmail.com दूरभाष न.:0141–2711978, 2711938

क्रमांकः प. 135 / नि.अ.मा.वि. / छात्रा. संचा. / 2021–22 / पार्ट / जयपुर, दिनांकः

विज्ञप्ति

अल्पसंख्यक बालक–बालिका छात्रावासों के संचालन हेतु स्वयंसेवी / शिक्षण संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रण

एवं

अल्पसंख्यक बालक–बालिका छात्रावासों में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रण

A. अल्पसंख्यक बालक–बालिका छात्रावासों के संचालन हेतु स्वयंसेवी / शिक्षण संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रण

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021–22 की अवधि में प्रदेश के जिला मुख्यालयों एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स में बालक–बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन के लिए इच्छुक विधि सम्मत पंजीकृत स्वयंसेवी / शिक्षण संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। जिला मुख्यालयों एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स का विवरण विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। स्वयंसेवी / शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक छात्रावास संचालित करने की आवश्यक अहर्ताएं आवेदन–प्रपत्र में अंकित हैं।

इच्छुक संस्थाओं द्वारा आवेदन–प्रपत्र विभागीय वेबसाइट https://minority.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। **आवेदन पत्र मय वांछित दस्तावेज संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में ही अंतिम तिथि दिनांक 20.09.2021 तक जमा कराये जा सकते है।**

B. अल्पसंख्यक बालक–बालिका छात्रावासों में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रण

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021–22 की अवधि में प्रदेश के जिला मुख्यालयों एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स में प्रस्तावित राजकीय / अनुदानित छात्रावासों में प्रवेश हेतु कक्षा 9 से उच्चतर कक्षाओं / पाठ्यक्रमों (विद्यालय / महाविद्यालय / शिक्षण संस्थाएं, व्यावसायिक संस्थाएं आदि) में अध्ययनरत अल्पसंख्यक विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। छात्रावास संचालन हेतु प्रस्तावित स्थानों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अल्पसंख्यक छात्रावासों में प्रवेश हेतु आवश्यक अहर्ताओं / दस्तावेजों का विवरण आवेदन–प्रपत्र में अंकित हैं।

इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा आवेदन–प्रपत्र विभागीय वेबसाइट https://minority.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। **आवेदन पत्र मय वांछित दस्तावेज संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में ही अंतिम तिथि दिनांक 20.10.2021 तक डाक द्वारा अथवा व्यक्तिशः जमा कराये जा सकते है अथवा संबंधित जिले की ई–मेल आई. डी. पर भी समस्त दस्तावेज सहित प्रेषित किये जा सकते है। समस्त जिलों की ई–मेल आई. डी. का विवरण विभागीय वेबसाइट https://minority.rajasthan.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।**

उक्त दोनों बिन्दुओं के संबंध में अधिक एवं विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट https://minority.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक

925

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉं राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान

dirminority@gmail.com दूरभाष न.:0141–2711978, 2711938

क्रमांकः प. 135 / नि.अ.मा.वि. / छात्रा. संचा. / 2021–22 / पार्ट / जयपुर, दिनांकः

विज्ञप्ति

अल्पसंख्यक बालक–बालिका छात्रावासों के संचालन हेतु प्रस्ताव आमंत्रण

अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021–22 की अवधि में प्रदेश के जिला मुख्यालयों एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स में बालक–बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन के लिए इच्छुक विधि सम्मत पंजीकृत स्वयंसेवी / शिक्षण संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। स्वयंसेवी / शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक छात्रावास संचालित करने की आवश्यक अहर्ताएं आवेदन–प्रपत्र में अंकित हैं।

इच्छुक संस्थाओं द्वारा आवेदन–प्रपत्र विभागीय वेबसाइट https://minority.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। **आवेदन पत्र मय वांछित दस्तावेज संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में ही अंतिम तिथि दिनांक 20.09.2021 तक जमा कराये जा सकते है।** जिला मुख्यालयों एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. <u>जिला मुख्यालय पर अल्पसख्ंयक बालक छात्रावासः</u>– मु0 अजमेर, मु0 अलवर, मु0 बांसवाडा, मु0 बारां, मु0 बाड़मेर, मु0 भरतपुर, मु0 भीलवाड़ा, मु0 बूंदी, मु0 चित्तौड़गढ, मु0 चुरू, मु0 दौसा, मु0 धौलपुर, मु0 डूंगरपुर, मु0 हनुमानगढ, मु0 जयपुर, मु0 जैसलमेर, मु0 जालौर, मु0 झालावाड़, मु0 झुंझुनू, मु0 जोधपुर, मु0 करौली, मु0 कोटा, मु0 नागौर, मु0 पाली, मु0 प्रतापगढ़, मु0 राजसमन्द, मु0 सवाई माधोपुर, मु0 सीकर, मु0 सिरोही, मु0 श्रीगंगानगर, मु0 टोंक, मु0 उदयपुर।
2. <u>जिला मुख्यालय पर अल्पसख्ंयक बालिका छात्रावासः</u>– मु0 अजमेर, मु0 बांसवाडा, मु0 बारां, मु0 बाड़मेर, मु0 भरतपुर, मु0 भीलवाड़ा, मु0 बीकानेर, मु0 बूंदी, मु0 चित्तौड़गढ, मु0 चुरू, मु0 दौसा, मु0 धौलपुर, मु0 डूंगरपुर, मु0 हनुमानगढ, मु0 जैसलमेर, मु0 जालौर, मु0 झालावाड़, मु0 झुंझुनू, मु0 करौली, मु0 नागौर, मु0 पाली, मु0 प्रतापगढ़, मु0 राजसमन्द, मु0 सवाई माधोपुर, मु0 सीकर, मु0 सिरोही, मु0 श्रीगंगानगर, मु0 टोंक, मु0 उदयपुर।
3. <u>अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक पर अल्पसंख्यक बालक छात्रावासः</u>– मसूदा (अजमेर), लक्ष्मणगढ़ (अलवर), उमरैण (अलवर), रामसर (बाड़मेर), चौहटन (बाड़मेर), गडरा रोड़ (बाड़मेर), पहाड़ी (भरतपुर), कामां (भरतपुर), नगर (भरतपुर), खाजूवाला (बीकानेर), छत्तरगढ़ (बीकानेर), सुजानगढ़ (चुरू), संगरिया (हनुमानगढ), टिब्बी (हनुमानगढ़), पोकरण (जैसलमेर), मोहनगढ़ (जैसलमेर), नाचना (जैसलमेर), फतेहगढ़ (जैसलमेर), भणियाना (सांकड़ा जैसलमेर), मकराना (नागौर), फतेहपुर (सीकर), करणपुर (श्रीगंगानगर), साहदुलशहर (श्रीगंगानगर), पदमपुर (श्रीगंगानगर), रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर), अनूपगढ (श्रीगंगानगर), घड़साना (श्रीगंगानगर), विजयनगर (श्रीगंगानगर)।
4. <u>अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक पर अल्पसंख्यक बालिका छात्रावासः</u>– लक्ष्मणगढ़ (अलवर), रामसर (बाड़मेर), पहाड़ी (भरतपुर), नगर (भरतपुर), सीकरी (नगर, भरतपुर), खाजूवाला (बीकानेर), छत्तरगढ़ (बीकानेर), सुजानगढ़ (चुरू), संगरिया (हनुमानगढ), टिब्बी (हनुमानगढ़), पोकरण (जैसलमेर), लाडनू (नागौर), फतेहपुर (सीकर), करणपुर (श्रीगंगानगर), साहदुलशहर (श्रीगंगानगर), पदमपुर (श्रीगंगानगर), रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर), अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर), घड़साना (श्रीगंगानगर), विजयनगर (श्रीगंगानगर)।

स्वयंसेवी संस्था द्वारा अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय ही धरोहर राशि (राशि रूपये 30,000 / –) की डी.डी. स्वयंसेवी संस्था द्वारा जमा करायी जायेगी। यदि अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्था को स्वीकृति निदेशालय द्वारा प्रदान कर दी जाती है और स्वीकृति उपरान्त स्वयंसेवी संस्था छात्रावास संचालन हेतु M.O.U. नहीं करती है या M.O.U. करने के पश्चात छात्रावास संचालन नहीं करती है, दोनों ही स्थितियों में स्वयंसेवी संस्था द्वारा जमा धरोहर राशि (राशि रूपये 30,000 / –) जब्त कर ली जायेगी।

निर्धारित प्रक्रिया के तहत चयनित स्वयंसेवी / शिक्षण संस्थाओं को अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन के लिए सत्र 2021–22 की अवधि हेतु अस्थाई स्वीकृति प्रदान की जावेगी। चयनित संस्थाएं यदि अल्पसंख्यक छात्रावासों का संचालन संतोषप्रद रूप से नहीं कर पायेंगी, तो उनको छात्रावास संचालन के लिए जारी की गई स्वीकृति 15 दिवस की अवधि का नोटिस देकर निरस्त कर दी जावेगी।

(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक